

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तरांचल, देहरादून। के

किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है :-

(The Particulars of any arrangement that exists for consultation with or representation by, the members of the public in relation to the formulation of its policy or implementation there of.)

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई में सम्पादित किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में कोई नीति एवं संरचना हेतु अलग से व्यवस्था प्राविधानित नहीं है। विभागीय नीतिगत मामलों का निर्धारण शासन स्तर पर किया जाता है। इकाई में पर्याप्त अधिकारी/कर्मचारी न होने के कारण जनता के परामर्श हेतु या उनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के लिए इस कार्यालय में अलग से कोई जनता अदालत की व्यवस्था नहीं की गयी है।

खनन पट्टे के लिए प्रार्थना पत्र (चार प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा)

दिनांक2000

(समय)..... बजे

(स्थान).....

(दिनांक)..... को प्राप्त हुआ।

सभी प्रकार से पूर्ण/अपूर्ण

(पाने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर)

प्रार्थना पत्र सभी प्रकार सेको पूर्ण किया गया।

पाने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर

सेवा में,

.....

.....

.....

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तरांचल उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2001 के अधीन खनन पट्टा किया जाय।

2. उक्त नियमावली में नियम 6 के उपनियम (1) के अधीन इस प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में देय शुल्क और प्रारम्भिक व्यय का क्रमशः रूपया और रूपया जमा कर दिया गया है।

3. अपेक्षित विवरण नीचे दिये गये है :-

(एक) प्रार्थी का नाम और पूरा पता

(दो) क्या प्रार्थी गैर-सरकारी व्यक्ति/निजी कम्पनी/सार्वजनिक कम्पनी/फर्म या निकाय है :

(तीन) यदि प्रार्थी :-

(क) व्यक्ति विशेष है तो उसकी राष्ट्रिकता.....

(ख) निजी कम्पनी है तो कम्पनी के सभी सदस्यों की राष्ट्रिकता और उसके निबन्धन (रजिस्ट्रेशन) का स्थान

(ग) सार्वजनिक कम्पनी है तो निदेशकों की राष्ट्रिकता, भारतीय राष्ट्रिको द्वारा धृत अंशपूजी का प्रतिशत तथा उसके निगमन का स्थान

(घ) फर्म या निकाय है तो फर्म के सभी भागीदारों या निकाया के सभी सदस्यों की राष्ट्रिकता

(ड.) बालू या मौरम या बजरी या बोल्टर या इनमें से कोई मिली-जुली अवस्था में हो, प्रार्थना कर्ता है तो निर्धारित प्रपत्र पर जाति एवं निवास प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना चाहिए । (21वां संशोधन)

(चार) प्रार्थी का व्यवसाय या कारोबार

(पांच) खनिज जिस/जिन्हें प्रार्थी खनन करना चाहता है

(छ:) अवधि जिसके लिए खनन पट्टा अपेक्षित है

(सात) उस क्षेत्र का ब्योरा, जिसके सम्बन्ध में खनन पट्टा अपेक्षित है :-

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा	क्षेत्रफल	क्या रिक्त है/किसी के द्वारा धृत है और यदि धृत है तो उसका ब्योरा
1	2	3	4	5	6	7

(आठ) निम्नलिखित के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख के साथ क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण :-

(क) प्राकृतिक आकृतियां, ऐसे स्रोत आदि के उल्लेख के साथ क्षेत्र की स्थिति.....

(ख) वन क्षेत्रों की दशा में, कार्यवृत्त (वर्किंग सर्किल) का नाम, वन रजि (रेंज) आर पातन श्रेणी (फेलिंग सीरीज), यदि कोई हो, वन में ज्ञात और सीमांकित क्षेत्रों के सम्बन्ध में क्षेत्र का विवरण तथा विस्तार (लगभग).....

(ग) भू-कर सर्वेक्षण (कैडेस्ट्रल सर्वे) के अन्तर्गत न आने वाली क्षेत्र की दशा में, धरातल मानचित्र (टोपो मैप) में निश्चित स्थानों के अभिदेश में क्षेत्र के प्रारम्भिक स्थान (स्टार्टिंग प्वाँइंट) विवरण और सीमा रेखा की रेखीय दूरियां और उनकी 4 इंच बराबर 1 मील के पैमाने के धरातल मानचित्र में दिये गये क्षेत्र के तदनु रूप यथासम्भव ठीक-ठीक दिक्स्थिति (बीअरिंग)

(घ) मानचित्र पर कम से कम दो स्थायी अभिदेश बिन्दु अवश्य दर्शाया जाना चाहिए.....

(नौ) राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के भीतर, खनिजवार ऐसे क्षेत्रों के विवरण

(दस) संयुक्त स्वत्व का प्रकार, यदि कोई हो

(ग्यारह) रीति, जिसके अनुसार संग्रह किये गये खनिज का उपयोग किया जायेगा, यदि प्रार्थी आवेदित खनिज का उद्योग स्थापित करना चाहता हो, या उसने पहले से ही स्थापित किया हो उसका पूर्ण विवरण और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए

(बारह) प्रार्थी के वित्तीय संसाधन.....

(बारह-क) खननदेय बकाया न होने का जिलाधिकारी अथवा प्राधिकृत द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।

यदि प्रार्थी द्वारा राज्य क्षेत्र के भीतर कोई खनन पट्टा या कोई अन्य खनिज परिहार धारित नहीं करता है या धारित नहीं किया था तो इस कथनका षपथ पत्र के स्थान पर दिया जाना चाहिए।
(21वां संशोधन)

(तेरह) उपर्युक्त (दो) में अभिदिष्ट धनराशि के लिए संलग्न रसीद वाले कोषागार चालान के विवरण

(चौदह) कोई अन्य विवरण या रेखा-मानचित्र (स्केच मैप) जो प्रार्थी प्रस्तुत करना चाहें

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपरदिये गये विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण जिसके अन्तर्गत यथार्थ नक्शे और प्रतिभूति जमा आदि हैं, देने को तैयार हूँ/हैं, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों।

स्थान.....

भवदीय,

दिनांक

प्रार्थी/प्रार्थियों के हस्ताक्षर

अवधेय :- (1) यदि प्रार्थना पत्र प्रार्थी के प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाय तो अभिकरण-पत्र (पावर आफ एटार्नी) संलग्न किया जाना चाहिए ।

(2) प्रार्थना पत्र केवल एक सहत खण्ड (ब्लॉक) के लिये होना चाहिए ।

प्रपत्र एम0 एम0-1 (क)
20 वां संशोधन
(चार प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा)
आदर्ष-प्रपत्र
खनन पट्टे के नवीकरण के लिये प्रार्थना पत्र
(नियम 6 क देखिये)

स्थान..... दिनांक को प्राप्त हुआ ।

पाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक

के माध्यम से

(पाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर)

सेवा में,

.....

.....

महोदय,

मैं/हम उत्तरांचल उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2001 के अधीन अपने खनन पट्टे से नवीकरण के लिए निवेदन करता हूँ/करते हैं। उक्त नियमावली के नियम-6-क के उपनियम (1) के अधीन देय 1,000.00 रुपये (एक हजार रुपये) का प्रार्थना पत्र शुल्क जमा कर दिया गया है।

आपेक्षित विवरण नीचे दिये गये हैं:-

1. प्रार्थी का नाम और पूरा पता
2. क्या प्रार्थी कोई गैर-सरकारी व्यक्ति/निजी कम्पनी/सार्वजनिक कम्पनी/फर्म या निकाय है।
3. यदि प्रार्थी :-
 - (क) व्यक्ति विशेष है, तो उसकी राष्ट्रकता.....
 - (ख) निजी कम्पनी है, तो कम्पनी के सभी सदस्यों के रजिस्ट्रीकरण के स्थान के साथ उसकी राष्ट्रकता
 - (ग) सार्वजनिक कम्पनी है, तो निदेशकों की राष्ट्रकता, भारतीय राष्ट्रको द्वारा धृत अंशपूंजी का प्रतिषत तथा उसके निगमन के स्थान.....
 - (घ) फर्म या संगम है तो फर्म के सभी भागीदारों या संगम के सदस्यों की राष्ट्रकता.....
 -
 - (ङ) यदि प्रार्थना पत्र बालू और मोरम के लिए है तो प्रत्येक प्रार्थी की जाति और निवास स्थान के पते का प्रमाण-पत्र दिया जायेगा
4. प्रार्थी/प्रार्थियों के व्यवसाय या कारोबार की प्रकृति.....
5. खनन देय बकाया न होने का जिलाधिकारी अथवा प्राधिकृति अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिये।

6. (क) खनन पट्टे का विवरण, जिसका नवीकरण वांछित है.....
 (ख) पूर्व में स्वीकृत नवीकरण के ब्यारे, यदि कोई हों
7. अवधि, जिसके लिये खनन पट्टे का नवीकरण अपेक्षित है.....
8. क्या नवीकरण का आवेदन धृत पट्टे के सम्पूर्ण या उसके भाग के लिये किया गया है
- (क) क्षेत्र, जिसके नवीकरण के लिए आवेदन किया गया
- (ख) उस क्षेत्र का विवरण, जिसके नवीकरण के लिए आवेदन किया गया है (विवरण भूखण्ड के सीमांकन के लिए पर्याप्त होना चाहिये).....
- (ग) धृत पट्टा क्षेत्र के मानचित्र का विवरण, जिसमें नवीकरण के लिए अपेक्षित क्षेत्र को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया गया हो (संलग्न).....
- (घ) विद्यमान या सृजित मलवे के विवरण यदि कोई हो.....
9. क्या प्रार्थी का उस भूमि के धरातल, जिसके खनन पट्टे के नवीकरण के लिए उसने अपेक्षा की है। अधिकार है?
10. यदि उसको सतही अधिकार प्राप्त नहीं है तो क्या उसने खनन संक्रिया के लिए क्षेत्र के स्वामी और अधिभोगी की सहमति प्राप्त कर ली है ? यदि सहमति प्राप्त कर ली है तो स्वामी और अधिभोगी की लिखित सहमति प्रस्तुत की जायेगी
11. षपथ पत्र द्वारा समर्थित प्रत्येक राज्य में खनिजवार क्षेत्र का विवरण जिस पर आवेदक या उसके साथ संयुक्त स्वत्व रखने वाला व्यक्ति :
- (क) खनन पट्टे के अधीन पहले से धारित करता है।
- (ख) पहले ही आवेदन किया हो, किन्तु यह स्वीकारन किया गया हो, या
- (ग) साथ-साथ आवेदन कर रहा हो ।
12. खनन योजना में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :
- (क) क्षेत्र का मानचित्र जिसमें खनिज निकाय तथा खनिज स्थल या स्थलों का प्रकार और उनका विस्तार दर्शाया गया हो, जिसमें प्रथम वर्ष में उत्खनन किया जाना हो, और उसका विस्तार, प्रार्थी द्वारा एकत्र किये गये पूर्वक्षण आंकड़ों पर आधारित उत्खनन स्थल का विस्तृत ब्यौरा पट्टे की अवधि के लिए अनन्तिम खनन योजना.....
- (ख) क्षेत्र के भू-विज्ञान एवं अष्म-विज्ञान (सपजीवसवहल) का ब्यौरा, षारीरिक श्रम और मषीन द्वारा खनन का विस्तार
- (ग) वार्षिक कार्यक्रम और वर्षानुवर्ष उत्खनन योजना और

(घ) क्षेत्र का नक्शा, जिसमें प्राकृतिक जल स्रोत, आरक्षित वन तथा अन्य वनों की सीमा और वृक्षों की संघनता, खनन क्रिय-कलाप का वन, भूमि और पर्यावरण, जिसमें वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण भी सम्मिलित है, पर प्रभावका आंकलन और वन रोपण भूमि-पुनरुधार, प्रदूषण नियंत्रण के उपायों के प्रयोग की योजना के ब्योरे दर्शाये गये हों।

टिप्पणी – इसकी आवश्यकता नदी तल के बालू, मोरम, बजरी इत्यादि के लिए नहीं होगी।

13. साधन, जिससे खनिज निकाला जाना है, अर्थात शारीरिक श्रम द्वारा या यान्त्रिक या विद्युत युक्ति द्वारा
14. रीति जिसके अनुसार संग्रह किया गया खनिज उपयोग में लाया जायेगा :-
 - (क) भारत में विनियोग के लिए
 - (ख) विदेशों को निर्यात करने के लिए ,
 - (ग) पूर्ववती दषा में उन उद्योगों को, जिसे सम्बन्ध में यह अपेक्षित है, विनिर्दिष्ट किया जायेगा पष्चातवर्ती दषा में, उन देशों का उल्लेख किया जाना चाहिए, जिनकी खनिज का निर्यात किया जायेगा या उल्लेख किया जाना चाहिए कि क्या खनिज प्रक्रमण्डके पष्चात निर्यात किया जायेगा या कच्चे रूप में
15. विगत तीन वर्षों में उत्पादन का ब्योरा और आगामी तीन वर्षों के दोरान विकास के लिए अभिन्यास योजना सहित उत्पादन के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाना चाहिए ।
16. विद्यमान उपलब्ध रेलवे परिवहन सुविधा और अतिरिक्त परिवहन सुविधा, यदि कोई अपेक्षित हो,
17. कोई अन्य विवरण जो प्रार्थी देना चाहते हों

मै/हम एतद्द्वारा घोशित करता हूँ। करते हैं कि ऊपर दिये गये विवरण सही हैं और मै/हम पट्टा दिये जाने या उसका नवीकरण किये जाने के पूर्व आपके द्वारा अपेक्षित कोई अन्य ब्योरा, जिसमें नक्शे भी है, देने का तत्पर हूँ। हैं।

स्थान.....
थदनांक.....

भवदीय,

प्रार्थी का हस्ताक्षर और पदनाम

अवधय :- यदि प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी द्वारा प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है तो अभिकरण-पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।

प्रपत्र एम0एम0 2
खनए प्रार्थना-प रिजस्टर (नियम-5)

1. क्रम संख्या
2. खनन पट्टे के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ.....
3. दिनांक जब पाने वाले अधिकारी को प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ
4. यदि प्रार्थना पत्र पहले बार प्राप्त होने पर सभी प्रकार से पूर्ण न रहा तो वह दिनांक जब वह पूरा किया गया
5. प्रार्थी का नाम और पूरा पता.....
6. उस भूमि का ब्यौरा जिसके लिए प्रार्थना पत्र दिया गया हो :-

(क) तहसील	(ख) पंरगना
(ग) ग्राम	(घ) प्लाट नं.
(ड.) क्षेत्रफल :	
7. भूमि का कुल क्षेत्रफल :
8. उप खनिजों का विवरण उन्हें प्रार्थी खनन करने का इच्छुक है:
9. चलान संख्या और दिनांक सहित भुगतान किया गया प्रार्थना-पत्र शुल्क और जमा किया गया प्रारंभिक व्यय :
10. प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर :
11. उस अन्तिम आज्ञा की संख्या और दिनांक जब प्रार्थना-पत्र निस्तारित किया गया :
12. दी गयी आज्ञा का संक्षिप्त विवरण :
13. प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर :
14. अभ्युक्तियां :

प्रपत्र एम0एम0-3
खनन पट्टे का आदर्श (डवकमस) प्रपत्र-(नियम-14)

यह अनुबन्ध आजदिनांकको
उत्तरांचल के राज्यपाल (जिन्हें आगे "राज्य सरकार" समझे जायेंगे) एक पक्ष और

यदि पट्टेदार एक विशेष व्यक्ति हो : (व्यक्ति का नाम, पता तथा व्यवसाय) (जिसे आगे पट्टेदार) कहा गया है, जिस पदावलि में, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्य हो, उसके दायदा, निष्पादक, प्रषासक और प्रतिनिधि भी सम्मिलित समझे जायेंगे) दूसरा पक्ष

यदि पट्टेदार एक से अधिक व्यक्ति हो: (व्यक्ति का नाम तथा पता और व्यवसाय) तथा
(व्यक्ति का नाम तथा पता और व्यवसाय) जिन्हें आगे "पट्टेदार" कहा गया है जिस पदावलि में, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्य हो, उनके अपने-अपने दायदा, निष्पादक, प्रषासक और प्रतिनिधि भी सम्मिलित समझे जायेंगे, दूसरा पक्ष)

यदि पट्टेदार कोई रजिस्ट्रीकृत फर्म हो : (भागीदार का नाम और) आत्मज
निवासीजो सभी भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का ऐक्ट सं0 9) के अधीन निबन्धित फर्म (फर्म का नाम) के नाम और रूप के अधीन भागीदारी में कार बार कर रहे हैं और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय नगर में.....
..... पर है । (जिन्हें आगे " पट्टेदार" कहा गया है, जिस पदावलि में, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्य हो, उक्त समस्त भागीदार, उनके अपने-अपने दायदा, निष्पादक और विधिक प्रतिनिधि भी सम्मिलित समझे जायेंगे) दूसरा पक्ष

यदि पट्टेदार रजिस्ट्रीकृत कम्पनी हो:- (कम्पनी का नाम).....
(अधिनियम जिसके अधीन निगमित है, के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालयमें है) (पता) (जिसे आगे "पट्टेदार कहा गया है, जिस पदावलि में, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्य हो, उनके उत्तराधिकारी भी सम्मिलित समझे जायेंगे) दूसरा पक्ष
।

चूंकि पट्टेदार/पट्टेदारों ने उत्तरांचल उप खनिज (परिहार) नियमावली 1963 (जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है) के अनुसार राज्य सरकार को निम्नलिखित अनुसूची के भाग-1 में वर्णित भूमिएकड़ के निमित्त खनन पट्टे के लिए प्रार्थना पत्र दिया है और उसने/उन्होंने राज्य सरकार के पासरूपये की धनराशि प्रतिभूति के रूप में तथा.....

.....
रूपये की धनराशि खनन पट्टे के हेतु आरम्भिक व्ययों की पूर्ति के लिए जमा कर दी है।

यह इस बात का साक्ष्य है कि उपस्थापन पत्र और निम्नलिखित अनुसूची द्वारा रक्षित और उनमें दिये गये और पट्टेदार/पट्टेदारों की ओर से भुगतान किये जाने वाले पालन और सम्पादन किये जाने वाले, किरायों स्वामित्वों, प्रसविदाओं तथा अनुबन्धों के प्रतिफल में राज्य सरकार एतद्द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों, को निम्नलिखित प्रदान और पट्टान्तरित करती है(यहां खनिज या खनिजों का उल्लेख कीजिये) (जिन्हें आगे अभिदिष्ट अनुसूची में "उक्त खनिज" कहा गया है) की समस्त खाने, तल्प (ठमके) सदरसीम्स (टपमदे) जो अनुसूची के भाग-1 में अभिदिष्ट भूमि में या उसके नीचे स्थिति हो, पड़ी हो या हों, उन स्वतंत्रताओं या अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के साथ

जिनको इसके सम्बन्ध में, उन निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुये प्रयोग या उपयोग किया जायेगा, जो ऐसी स्वतंत्रताओं, अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के प्रयोग तथा उपयोग करने के बारे में हो...
.....सिवाय इसके और इसमें से आरक्षित उक्त नियमावली में उल्लिखित स्वतंत्रतायें, अधिकार तथा विशेषाधिकार राज्य सरकार में पट्टान्तरित हो जायेंगे। दिनांक200.....से
वर्ष की आगामी अवधि के लिए पट्टेदार/पट्टेदारों का एतद्द्वारा दिये और पट्टान्तरित ऐसे भू-गृहदि धारण करना, जिसमें खनिज निकलने लगे और

राज्य सरकार को उक्त अनुसूची के भाग-2 में उल्लिखित कई किरायों और स्वामित्वों का भुगतान उसमें विनिर्दिष्ट भिन्न-भिन्न समयों पर होने लगे किन्तु प्रतिबंध यह है कि ऐसा उक्त भाग में उपबंधों के अधीन हो, और पट्टेदार एतद्द्वारा राज्य सरकार के साथ प्रसंविदा करता है/ करते है और राज्य सरकार एतद्द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों के साथ प्रसंविदा करती है जैसा कि उक्त नियमावली में अभिव्यक्त है,

और, एतद्द्वारा इसके साथ दिये गये पक्षों के बीच में परस्पर सहमत हुआ है और जैसा कि उक्त अनुसूची के भाग-3 में अभिव्यक्त है।

पस-प्रपत्र – (नियम-70) (1)
(तीन प्रतियों में)

- (1) पट्टा या अनुज्ञा- पत्र का नाम
- (2) खान का स्थल
- (3) खनिज का नाम
- (4) खनिज की मात्रा
- (5) गंतव्य स्थान.....
- (6) परिवहन साधनों का विवरण (यदि मोटर गाड़ी हो तो उसकी निबन्धन संख्या लिखी जाय).....
.....
- (7) पारेशन के प्रभारी व्यक्ति का पूरा नाम और पता :
- (8) पारेशन के प्रभारी व्यक्ति के पूरे हस्ताक्षर
- (9) पास जारी करने वाले के पूरे हस्ताक्षर
-

टिप्पणी :-

- (1) प्रतिपत्र खान में रख लिया जायेगा।
- (2) पारेशन के प्रभारी व्यक्ति को दो अन्य पास दिये जायेगे, जिसमें से एक पास को जांच करने वाले सरकारी सेवक द्वारा लिया जायेगा।

The Application form for reconnaissance permit

FORM A

To be submitted in quadruplicate

Received at.....(place) on.....(Date)

Initial of Receiving Officer

GOVERNMENT OF.....

(Application for Reconnaissance Permit)

[See rule 4]

Dated.....day

of.....20

To

Through

Sir,

I/We request that a reconnaissance permit under the Mineral Concession Rules, 1960 be granted to me/us.

2. A sum of Rs.....being the fee in respect of this application at the rate of Rs.5/- per square kilometre or part thereof payable in accordance with the Mineral Concession Rules, 1960 has been deposited.

3. The required particulars are given below:

(i) Name of the applicant with complete address;

(ii) Is the applicant a private individual/private company/public company/firm or association?

(iii) In case applicant is:

(a) an individual, his nationality;

(b) a company, an attested copy of the certificate of registration of the company shall be enclosed;

(c) firm or association, the nationality of all the partners of the firm or members of the association;

(iv) Profession or nature of business of applicant;

(v) No. and date of the valid clearance certificate of payment of mining dues(copy attached);

(vi) If on the date of application the applicant does not hold a reconnaissance permit, it should be stated whether an affidavit to this effect has been furnished to the satisfaction of the State Government;

(vii) Mineral or minerals which the applicant intends to prospect;

(viii) Period for which the reconnaissance permit is required;

(ix) Extent of the area the applicant wants to prospect;

(x) Details of the area in respect of which reconnaissance permit is required: -----

District	Taluq	Area -----
----------	-------	------------

(xi) Particulars of the areas mineral-wise within the jurisdiction of the State Government for which the applicant or any person joint in interest with him;

(a) already holds under reconnaissance permit;

(b) has already applied for but not granted;

(c) being applied for simultaneously.

(xii) Nature of joint interest, if any;

(xiii) If the applicant intends to supervise the works, his previous experience of reconnaissance, prospecting or mining operations should be explained; if he intends to appoint a manager, the name of such manager, his qualifications, nature and extent of his previous experience should be specified and his consent letter should be attached;

(xiv) Financial resources of the applicant.

(xv) Particulars of receipted treasury challan attached for the amount referred to at 2 above;

(xvi) The works proposed to be undertaken along with their physical annual targets;

(xvii) The scheme of relinquishment of the area;

(xviii) Anticipated minimum annual expenditure (activity of work wise);

(xix) Any other particulars or sketch map which the applicant wishes to furnish.

I/We do hereby declare that the particulars furnished above are correct and am/are ready to furnish any other details, including accurate plans as may be required by you.

Yours faithfully,

(Signature and designation of the applicant)

Place

Date

* The topographical map of 1"=1 mile scale [or 1 : 50,000] is obtainable from the office of the Survey of India, Hathibarkhala, Dehradun.

Detailed plan and topographical map are to be attached in quadruplicate with the original application.

Note: 1. If the application is signed by an authorized agent of the applicant, Power of Attorney should be attached.

1. The application should relate to one compact area only.

Place :

Yours faithfully,

Dated :

Signature and designation
of the applicant.

Application form for Prospecting license :

FORM –B

To be submitted in triplicate

Received at -----

(place) on

Date-----

Initial of Receiving

Officer-----

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
MODEL FORM
APPLICATION FOR PROSPECTING LICENCE
SEE RULE 9 (I)

To,.....Dated.....

District Magistrate

Sir,

Through:

I/We request that the prospecting license under the Mineral concession Rules, 1960 be granted to me/us.

2. A sum of Rs.being the fee in respect of this application at the rate of Rs.for the first square kilometer or part there of and Rs. for subset went square kilometer or part there of payable in accordance with schedule II to the Mineral Concession Rules 1960 has been deposited.

3. The required particulars are given below:

(I) Name of the applicant with complete address:

(II) Is the applicant a private Individual/ Private Company/ Public Company/ firm or Association:

In case applicant is

(a) An individual, his nationality:

(b) A private company, the national-

Laity of all members of the
Company along with place of
Registration.

- (c) A public company the national-
Laity of directors, the percentage
Of share capital held by Indian
Nationals along with place of Incorporation.
- (d) A firm or association the nationality
Of all partners of the firm or members
Of the association.
- (iv) Profession of Nature of Business of the applicant.
- (v) (omitted)
- (vi) (a) No. & date of the valid
clearance certificate of
payment of mining dues
(copy attached)
- VI-b) If on the date of application
The applicant does not hold
A prospecting license, if
Should be stated whet her an
Affidavit to this effect has
Been furnished to the
Satisfaction of the state
Government. (No. 1 (34)/ 68-
MV I, dated 23 May 1970, GSR
No. 1117, Dated 1st August 1970)
- VII) Mineral of minerals which
The applicant intends to prospect.
- VIII) Period for which the prospecting
Licence is required. :
- IX) Extent of the area the applicant
Wants to prospect:
- X) Details of the area in respect
Which prospecting licence is
Required. :

District	Taluka	Village	Khasra No/ plot No.	Area

X-a) Does the applicant have surface
Rights over the area for which
He requires a prospecting licence:

X-b) If not, has he obtained the consent
Of the owner of and occupier of
The land for undertaking prospecting
Operations, If so, the consent of the
Owner and the occupier obtained in writing
Be field.

XI. Brief description of the area
With particular reference to the
Following.:

a) The situation of the area in the
Respect of natural features
Such as streams etc.

b) In the case of village areas
The name of the village and if
Only a part of the village is
Applied for, the Khasra No. the
Area in hectares of each field
Or part there of applied for.

The areas shall cover whole or
Recognized part survey numbers.

In case of forest areas, the name
Of the working circle, the range
And the felling series.

For areas where no forest maps or Cadastral maps are available, a Sketch plan should be submitted On scale showing the area applied For together with boundary If any, of any other existing Mining lease or prospecting Licence area if the area applied For case any common point or line With the boundaries of existing Prospecting licence of mining Lease areas.

- XI) The area applied for should be Marked on plans as detailed below:
- a) In case a cadastral map of the area is available, the area on this map should be marked showing the name of the village, khasra No. and area in hectares of each field and part thereof:
- XII) The area applied for shall cover whole survey numbers.
- b) In the case of the forest maps, the area should be marked on the map showing the range and felling series.
 - c) In case neither cadastral nor forest maps are available the area should be marked on a sketch plan drawn to scale the dimensions of the lines forming this boundary of the area and the bearing and distance of all corner points from any importance prominent and fixed point or points.
- XIII) An affidavit that the up to date Income tax return, as prescribed under the Income tax Act 1961, have been filed and the tax

due including the tax on account of self-assessment has been paid.

- XIV) Particulars of the areas mineral wise (in each state duly supported by an affidavit) for which the applicant or any person joint in interest with him.
- a) already holds under prospecting licence.
 - b) has already applied for but not granted, or.
 - c) being applied for simile tenuously.
- XV) Nature of joint in interest, if any
- XVI) If the applicant intends to supervise the works, his previous experience of prospecting and mining should be explained, if he intends to appoint a Manager, the name of such manager, his qualification, nature and extend of his previous experience should be specified and his consent letter should be attached.
- XVII) Financial resources of the applicant.
- XVIII) Particulars of receipted treasury challis attached for the amount referred to at 2 above.
- XIX) Any other particulars or sketch map which the applicant wishes to furnish.

I/We do hereby declare that the particulars furnished above are correct and am/are ready to furnish any other details including accurate plans as may be required by you.

Place :
Dated :

Yours faithfully,

Signature and designation
of the applicant.

Application Form for Mining Lease
Form-I

(TO BE SUBMITTED IN TRIPLICATE)

<p>Received On.....(Date) Initial of Receiving officer</p> <p>To Secretary, (Industry), Government of Uttranchal, Dehradun</p>	<p>Government of Uttranchal Application for Mining lease Rule-22 (1) of the Mineral concession Rules. 1960 Dated the Day of</p>
<p>Through : District Magistrate, Sir,</p> <p>1. I/We request that a minig lease under the Mineral Concession Rules. 1960 may be granted to me/us.</p> <p>2. A sum of Rs. 500/- and Rs. 1,000/- being the fees in respect of this application and preliminary expenses respectively payable under sub-rule (3) of fule 22 the said rule have been deposited (vide receipt Challan No. Datedof the state Bank of India/Treasury.....)</p>	
<p>3. The required particulars are given below.</p> <p>i) Name of the applicant with completed address</p> <p style="padding-left: 40px;">Status of the applicant</p> <p>ii) Is the applicant a private individual/co-operative/firm/association/private company/public company/public sector undertaking/oint sector undertaking or any othe.</p> <p>iii) In case the applicantis.</p> <p>(a) an individual, his nationality, qualification and experience relating to mining.</p> <p>(b) A private company, the nationality of the members/Borad of Directors of the Company along with place of registration and copy of certificate of</p>	

<p>incorporation.</p> <p>(c) A public company[the nationality of its director, the percentage of share capital held by Indian Nationals along with its place of incorporation and copy of certificate of incorporation.</p> <p>(d) Firm or Association, the nationality of all the partners of the firm or members of the association and</p> <p>(e) A co-operative the nationality of non Indian members. It any along with place of the certificate of the certificate of registration.</p> <p>iv) Profession or nature of business of applicant.</p> <p>v) Particulars of documents appended.</p>	
<p>Document</p>	<p>Reference</p>
<p>a) Mining dues clearance certificate</p> <p style="text-align: center;">Or</p> <p>b) Affidavit in lieu of Mining Dues Clearance Certificate, Subject to the production of minig lease dues, clearance certificate within the period of minety days of making application.</p> <p style="text-align: center;">Or</p> <p>c) Affidavit when not holding any mining lease</p> <p>d) Affidavit that up-to-date Income Tax Returns as prescribed under the Income Tax Act, 1961 and that the tax due including the tax on account of self-assessment has been paid.</p> <p>vi) Mineral or minerals which the applicant intends to mine.</p> <p>vii) Period for which mining lease is required.</p> <p>viii) Extent of the area for which mining lease is requird.</p>	

ix) Details of the area in respect of which mining lease is required

District	Taluqa	Village	Khasra No.	Plot No	Area	Ownership-occupancy

<p>x) Brief description of the area with particular reference to the following</p> <p>a) Does the applicant have surface rights over the area for which he is making an application for grant of mining lease.</p> <p>b) If no, has he obtained the consent of the owner and the occupier of the land for undertaking mining operation if so the consent of the owner and occupier of the land be obtained in writing and be filed</p> <p>xi) (a) The situation of area in respect of natural features such as streams or tanks.</p> <p>(b) In the case of village areas, the name of the village, the Khasra number, the area in hectares of each field or part thereof applied for.</p> <p>(c) In case the area applied for is under forest, then the following particulars be given</p> <p>(1) Forest division, Block and Range</p> <p>(2) Legal status of the forest (Namely reserved, Protected, unclassified etc)</p> <p>(3) Whether it forms part of a National Park or wild-life sanctuary.</p> <p>(4) Type and extent of vegetation in the area.</p> <p>(5) For areas where no forest maps or cadastral maps are available, a sketch plan should be submitted on scale showing the area applied for together with boundary, if any, of any other existing mining lease or prospecting licence or mining lease areas.</p> <p>xii) The area applied for should be marked on plans as detailed below.</p> <p>(a) In case a cadastral Map of the area is available the area on this map of the village, Khasra number and area in hectares of each field and part thereof.</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

- (b) In the case of forest maps the area should be marked on the map showing the range and felling series.
- (c) In case neither cadastral nor forest maps are available, the area should be marked on a sketch plan drawn to scales showing on this plan all important surface and natural features, the dimensions of the lines forming the boundary of the area and bearing and distance of all corner points from any important, prominent and fixed point or points.
- xiii) Particulars of the area mineral wise in each State, duly supported by an affidavit for which the applicant or any person joint in interest with him.
- (a) already holds under mining lease;
- (b) has already applied for but not granted.
- (c) Being applied for simultaneously
- xiv) Nature of joint interest, if any.
- xv) (a) Does the applicant hold a prospecting licence over the area mentioned at (xi) above ? if so give its number and date of grant and the date when it is due to expire.
- (b) has the applicant carried out the prospecting operations over the area held under prospecting licence and sent his report to the State Government, as required by rule 16 of the Mineral Concession Rules, 1960 ? If not, state reasons for not doing so.
- xvi) Broad parameters of the mineral/ore body/bodies
- (a) Strike length, average width and dip.
- (b) Wall rocks on hanging and foot wall sides.
- (c) Whether area is considerably disturbed geologically or is comparatively free of geological disturbance ? (copy of geological map of the area is to be attached.)
- (d) Whether the area is virgin ? If not, the extent to which it has already been worked in case there are old workings, their location are to be shown on the geological map of the area.
- xvii) Broad parameters of the mine
- (a) Proposed date of commencement of the mining

operation.

(b) Proposed rate of mineral production during the first 5 years (year-wise)

(c) Proposed rate of production when mine is fully developed.

(d) Anticipated life of the mine

(e) Proposed method of mining (underground or open-cast)

(i) if underground, the method of approach to the deposit mineral/ore-whether through inclines or shafts.

(ii) If open cast the over burden to be removed and overall pit slope

(f) Nature of the land chosen for dumping overburden/waste and tailing (that is type of land whether agricultural, grazing land, barren, saline land etc.) and whether proposed site has been shown on the mine working plan. Give also the extent of area in ha set apart for dumping of waste and tailings.

xvii) A report giving the details of prospecting carried out in the area together with assessment of the ore reserves, geological plans, results of chemical analysis of the representative samples, and boreholes and logs.

xix) Manner in which the mineral raised is to be utilized.

a) (i) If for captive use, the location of plant and industry.

(iii) For sale for indigenous consumption.

b) If for export to foreign countries indicate.

(i) Names of the countries to which it is likely to be exported where the mine is being set up on 100% export oriented or tied-up basis.

(ii) Whether mineral will be exported in raw form or after processing. Also indicate the stage of processing, whether intermediate stage or final stage of the end-product.

(c) If it is to be used within the country, indicate .

(i) The industries in which it would be used.

(ii) Whether it will be supplied in raw form or after processing

(crushing/grinding/beneficiation/calcing)

(iii) Whether it would need upgradation and if so,

whether it is proposed to set up beneficiation plant. Also indicate the capacity of suchy plant and the time by which it would be set up.

b) In case of coal, or other high bulk minerals/ores details of existing railway transport facility available and additional transport facility if an, required.

xx) Name, qualification and experience of the Technical Personnel available for supervising the mines.

xxi) (i) Financial resources of the applicant.

(ii) Anticipated yearly financial investment during the course of mine construction and aggregate investment up to the stage of commencement of commercial production.

xxii) (a) Nature of waste water, (eg, whether acidic) if so, expected PH value.

(b) The application form should be accompanied by a statement of the salient features of the scheme of minig. This should be generally on the lines of the “ Project at a Glance” giving mining feasibility report including features relating to the protection of environment.

I/We do hereby declare that the particulars furnished above are correct and am/are ready to furnish any other details including accurate plans and security deposit, as may be required by you.

Place:

Yours faithfully,

Date:

Signature of the applicant

पर्वतीय क्षेत्र में स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट/प्लवराइजर संयंत्र के स्थापना की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन का प्रारूप

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
भूपालपानी, देहरादून।

दिनांक.....

द्वारा :- ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक,
जनपद.....

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें शासनादेश संख्या 2920/VII-II-11/68-रिट/2008, दिनांक 18 नवम्बर 2011 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र हेतु स्टोन केशर, स्क्रीनिंग प्लांट एवं प्लवराइजर अनुज्ञा नीति 2011 के अधीन स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट/प्लवराइजर संयंत्र के स्थापना की अनुमति/अनुज्ञा प्रदान की जाये।

2. रूपये..... की धनराशि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन शुल्क ₹ 50,000 (रूपये पचास हजार) मात्र उत्पादन क्षमता 200 टन प्रतिदिन एवं उसके ऊपर प्रति 100 टन अथवा भाग पर पचास हजार रूपये अतिरिक्त शुल्क जो इस आवेदन पत्र के सम्बन्ध में देय है, निर्धारित लेखा शीर्षक 0853-अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग में चालान संख्या..... दिनांक द्वारा जमा कर दी गयी है।

3. आवेदक का नाम व पता :.....

4. आवेदक यदि निजी व्यक्ति/निजी कम्पनी/
सार्वजनिक कम्पनी/फर्म या संघ है, तो उसका विवरण :-

5. यदि आवेदक:-

(क) एक व्यक्ति है तो उसकी राष्ट्रीयता:.....

(ख) कम्पनी है तो कम्पनी के पंजीकृत
प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाये.....

(ग) फर्म या संघ है तो फर्म के सभी भागीदारों या
संघ के सभी सदस्यों की राष्ट्रीयता.....

6. आवेदक का व्यवसाय या उसके कारोबार की प्रकृति:-

7. अवधि, जिसके लिए अनुज्ञा आपेक्षित है.....

8. खनिज का नाम.....

9. प्रस्तावित स्थल का विवरण.....

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	भूमि की श्रेणी	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)	संयंत्र की क्षमता (प्रति दिन)
1	2	3	4	5	6

10. आवेदित भूमि यदि निजी नाप भूमि है तो आवेदक क्या भू स्वामी है या भूस्वामी से सहमति प्राप्त किया गया है
11. आवेदित भूमि यदि राज्य सरकार की भूमि/अन्य भूमि है तो उसका विवरण.....
12. आवेदित भूमि की खसरा, खतौनी, खसरा मानचित्र एवं साइट प्लान की प्रति संलग्न की जाये.....

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता / करती हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये विवरण सही है और मैं/हम कोई अन्य विवरण/अभिलेख, उपरोक्त के अतिरिक्त जो आप द्वारा अपेक्षित हो देने को तैयार हूँ/हैं।

स्थान.....

दिनांक.....

भवदीय,

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

(आवेदन पत्र सात प्रतियों में प्रस्तुत किये जायेंगे)

मैदानी क्षेत्र में स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लांट/प्लवराइजर संयंत्र के स्थापना की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन का प्रारूप

सेवा मे,

निदेशक,
भूत्त्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
भूपालपानी, देहरादून।

दिनांक.....

द्वारा :- ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक,
जनपद-.....

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता हूँ/करती हूँ/करते है कि मुझे/हमें शासनादेश संख्या 2920/VII-II-11/68-रिट/2008, दिनांक 18 नवम्बर 2011 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र हेतु स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लांट एवं प्लवराइजर अनुज्ञा नीति 2011 के अर्धीन स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लांट/प्लवराइजर संयंत्र के स्थापना की अनुमति/अनुज्ञा प्रदान की जाये।

2. रूपये..... की धनराशि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन शुल्क रु0 50,000 (रूपये पचांस हजार) मात्र उत्पादन क्षमता 200 टन प्रतिदिन एवं उसके ऊपर प्रति 100 टन अथवा भाग पर पंचास हजार रूपये अतिरिक्त शुल्क जो इस आवेदन पत्र के सम्बन्ध में देय है, निर्धारित लेखा शीर्षक 0853-अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग में चालान संख्या..... दिनांक द्वारा जमा कर दी गयी है।
3. आवेदक का नाम व पता :
4. आवेदक यदि निजी ब्यक्ति/निजी कम्पनी/सार्वजनिक कम्पनी/फर्म या संघ है, तो उसका विवरण :-
5. यदि आवेदक:-
 - (क) एक ब्यक्ति है तो उसकी राष्ट्रीयता:
 - (ख) कम्पनी है तो कम्पनी के पंजीकृत प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाये.....
 - (ग) फर्म या संघ है तो फर्म के सभी भागीदारों या संघ के सभी सदस्यों की राष्ट्रीयता.....
6. आवेदक का व्यवसाय या उसके कारोबार की प्रकृति:-
7. अवधि, जिसके लिए अनुज्ञा आपेक्षित है.....
8. खनिज का नाम.....

9. प्रस्तावित स्थल का विवरण.....

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	भूमि की श्रेणी	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)	संयंत्र की क्षमता (प्रति दिन) टन
1	2	3	4	5	6

10. आवेदित भूमि यदि निजी नाप भूमि है तो आवेदक क्या भू स्वामी है या भूस्वामी से सहमति प्राप्त किया गया है
11. आवेदित भूमि यदि राज्य सरकार की भूमि/अन्य भूमि है तो उसका विवरण.....
12. आवेदित भूमि की खसरा, खतौनी, खसरा मानचित्र एवं साइट प्लान की प्रति संलग्न की जाये.....

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता / करती हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये विवरण सही है और मैं/हम कोई अन्य विवरण/अभिलेख, उपरोक्त के अतिरिक्त जो आप द्वारा अपेक्षित हो देने को तैयार हूँ/है।

स्थान.....

दिनांक.....

भवदीय,

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

(आवेदन पत्र सात प्रतियों में प्रस्तुत किये जायेंगे)